<u>जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट</u>

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

क्रमांकः–एफ 17/14/आर.टी.आई./प्रथम अपील/2026/1376 दिनांकः 12/05/2026

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
अपील संख्या–02/2026

श्री हरीसिंह पिता राजू सिंह,
निवासी 125, स्वादडी ए,
तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर — प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

उक्त अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर (लोक सूचना अधिकारी) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2026 पर चाही गयी सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1. प्रार्थना पत्र एवं अपील का विवरण :–

क्र.स.		
1.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत दिनांक	18.03.2026
2.	प्रार्थना पत्र का जबाब/सूचना प्रेषित किये जाने की दिनांक	09.04.2026
3.	लोक सूचना अधिकारी, जिसने जबाब प्रेषित किया/किया जाना है	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
4.	प्रथम अपील ऑनलाईन प्राप्ति दिनांक (संभागीय आयुक्त, उदयपुर में)	18.04.2026
5.	प्रथम अपील सुनवाई दिनांक	29.04.2026
6.	प्रथम अपील निर्णय दिनांक	12.05.2026

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237
ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.03.2026 से निम्न सूचना चाही गई –

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना
1.	कार्यालय द्वारा जारी नोटिस (क्रमांक 721, दिनांक 09.03.2026) के अनुसार, सरपंच को 18.03.2026 को सुनवाई का अंतिम अवसर दिया गया था। कृपया स्पष्ट करें कि क्या उक्त तिथि को सरपंच व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए या उन्होंने कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया?
2.	यदि सरपंच उक्त तिथि 18.03.2026 को उपस्थित नहीं हुए, तो विभाग द्वारा उनके विरूद्ध 'एकपक्षीय कार्यवाही' के तहत अब तक क्या निर्णय लिया गया है?
3.	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38/39 के तहत सरपंच को निलंबित करने या पद से हटाने के संबंध में वर्तमान में फाइल किस स्तर पर लंबित है?
4.	इस प्रकरण से संबंधित मुख्य पत्रावली पर दिनांक 10.03.2026 से लेकर आवेदन की तिथि तक की समस्त नोटशीट की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं।
5.	क्या विभाग इस मामले में कोई 'अंतिम आदेश' पारित किया गया है? यदि हॉ, तो उसकी प्रमाणित प्रति प्रदान करें।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना से असंतुष्ट होने पर प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

3. **प्रकरण का निर्णयः–**

अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई दिनांक 29.04.2026 को उपस्थित होने का नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उसके द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित होने के आधार पर उपलब्ध नहीं कराई गई है, जो उचित नहीं है। अतः उसके द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र उपलब्ध कराई जावें।

लोक सूचना अधिकारी ने अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा श्री त्रिलोक सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत–स्वादडी, पंचायत समिति–देवगढ़, जिला–राजसमन्द के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में लम्बित जाँच से सम्बन्धित प्रश्नों के जवाब चाहे है तथा जाँच पत्रावली की नोटशीट व दस्तावेज चाहे गए है। सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है तथा साथ ही चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित है। अतः सूचना देय नहीं है।

उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा श्री त्रिलोक सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत–स्वादडी, पंचायत समिति–देवगढ़, जिला–राजसमन्द के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 में लम्बित जाँच के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–1 से 3 व 5 में कुछ प्रश्नों का जवाब एवं लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण चाहा है तथा बिन्दु संख्या–4 में जाँच पत्रावली से सम्बन्धित दस्तावेज चाहे है। सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह उन प्रश्नों का उत्तर दे, जिससे उसकी राय या कार्य

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जरिये रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट

राजस्थान सरकार

कार्यालय, संभागीय आयुक्त, उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) सम्पर्क 0294–2420064, 0294–2420237

ई–मेलः divcomm-udai-rj@nic.in

का स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा साथ ही चाही गई सूचना लोक सेवक के विरूद्ध लम्बित जाँच के सम्बन्ध में है। जाँच कार्यवाही पूर्ण होने एवं सक्षम स्तर से जाँच पर निर्णय से पूर्व जाँच सम्बन्धी दस्तावेज तृतीय पक्षकार को दिये जाने से, जाँच कार्यवाही बाधित होने की संभावना है। अतः लोक सेवक के विरूद्ध लम्बित जाँच से सम्बन्धित प्रश्नों का जवाब एवं स्पष्टीकरण तथा साथ ही जाँच सम्बन्धी दस्तावेज दिया जाना उचित नहीं है।

अतः अपीलार्थी की अपील आज दिनांक 12.05.2026 को खारिज की जाती है। अगर अपीलार्थी उक्त आदेश से असंतुष्ट है तो माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, झालाना डूंगरी जयपुर में 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी) IAS
संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

प्रतिलिपिः–

1. श्री हरीसिंह पिता राजू सिंह, निवासी 125, स्वादडी ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द
2. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर।

संभागीय आयुक्त, उदयपुर
(प्रथम अपील अधिकारी)

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)